



UPRB040433732022

न्यायालय A.C.J.M. III, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी- (SURYABHAN KUMAR VERMA) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP02318

Bail Application/13016/2022

Siddha Sharan pandey Vs. State Government

दिनांक 10.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त शिद्धयाशरण पाण्डेय की ओर से मु०अप० सं०-38/21, अ०धारा-498ए, 323, 506 भा०दं०वि० व 3/4 डी० पी०एक्ट, थाना डीह, जिला रायबरेली से सम्बन्धित प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है तथा जमानत की याचना की गयी है ।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध साधारण उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी देने तथा दहेज मांगने का आरोप है । अभियुक्त विकलांग है एवं दिनांक 12.07.2.2022 से अंतरिम जमानत पर है । मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है । अतः मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है ।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शिद्धयाशरण पाण्डेय द्वारा मु.20,000/- रु० की दो जमानतें तथा उसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय ।

तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रायबरेली ।